आवास अनुभाग/Housing Section

भा.कृ.अ.प-.भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

ICAR-Indian Agricultural Research Institute

नई दिल्ली12-/ New Delhi-12

संख्या 6-5/2022/H/773

दिनांक: ....03...... जुलाई, 2026

विषय: भा. कृ. अनु. प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आवासों में निवासरत परिवार के सदस्यों एवं घरेलू सहायकों का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में ।

संदर्भ: आवास अनुभाग परिपत्र संख्या 6-5/2022/H/218 दिनांक 29.04.2026 तथा अनुस्मारक संख्या 6-5/2022/H दिनांक 12.06.2026 (प्रतिलिपि संलग्न)।

यह देखा गया है कि दिनांक 29.04.2026 के परिपत्र तथा उसके उपरांत जारी दिनांक 12.06.2026 के अनुस्मारक के बावजूद, आवंटी के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आवंटित आवास में निवासरत परिवार के सदस्यों एवं घरेलू सहायकों (यदि कोई हों) का अपेक्षित विवरण वर्तमान आवंटियों में से केवल लगभग 25% आवंटियों से ही प्राप्त हुआ है।

2. पुनः अवगत कराया जाता है कि उक्त सूचना आवासीय अभिलेखों के अद्यतन रख-रखाव, वास्तविक अधिभोग के सत्यापन तथा अनधिकृत उपयोग/उप-किरायेदारी की रोकथाम हेतु आवश्यक है। यदि कोई आवंटी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराता/कराती है, तो उसे आवास अभिलेखों में **असहयोगी (Non-Compliant)** के रूप में दर्ज किया जा सकता है तथा उसकी अनुपालन स्थिति निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं आवास आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवास संबंधी मामलों, जैसे आवास परिवर्तन, आवास प्रतिधारण अथवा अन्य आवास संबंधी अनुरोधों पर तब तक विचार/कार्यवाही नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

3. अतः जिन आवंटियों द्वारा अभी तक अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त जानकारी **दिनांक 10.07.2026** तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उक्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आवास अनुभाग को ई-मेल आईडी iarihousingsection@gmail.com पर भेजी जा सकती है अथवा भौतिक रूप से भी अनुभाग में जमा कराई जा सकती है अथवा सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास) को ई -ऑफिस पर ई रसीद के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।

4. इसे **अत्यंत आवश्यक** माना जाए।

संलग्नक : यथोक्त।

03/07/2026

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)

प्रति:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी आवासों के आवंटी, जिनमें इसके क्षेत्रीय केंद्रों/स्टेशनों के आवंटी भी शामिल हैं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी क्षेत्रीय केंद्रों/स्टेशनों के अध्यक्ष/प्रमुख, को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित सभी आवंटियों को इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अवगत कराएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, सभी संयुक्त निदेशकों/विभागाध्यक्षों।
3. प्रभारी, ए.के.एम.यू. से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी की जानकारी हेतु आईएआरआई इंट्रानेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सचिव, आईजेएससी।
5. सभी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष/सचिव।
6. आवास अनुभाग / सुरक्षा अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

टिप्पणी: हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

आवास अनुभाग/Housing Section

भा.कृ.अ.प-.भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

ICAR-Indian Agricultural Research Institute

नई दिल्ली12-

New Delhi-12

No. 6-5/2022/H/

Dated: ....03...... July, 2026

Circular

Subject: Submission of details of family members and domestic helps residing in ICAR-IARI residential accommodations

Reference: Housing Section Circular No. 6-5/2022/H/218 dated 29.04.2026 and reminder 6-5/2022/H dated 12.06.2026 (copy enclosed).

It has been observed that despite circular dated 29.04.2026 and subsequent reminder dated 12.06.2026, the requisite family details and details of domestic helps (if any) residing in ICAR-IARI residential accommodation with the allottee have been received only from 25% of the present allottees.

2. It is reiterated that information sought is essential for maintaining updated occupancy records, verification of bona fide occupation and prevention of un-authorised use/subletting. In the event the desired information is not provided by the allottee, he/ she may be recorded as non-compliant in Housing Records and the compliance status will be presented before the Director, IARI and House Allotment Committee. Further, with the approval of the Competent Authority, requests received from the erring officials/ staff relating to residential accommodation, such as change of accommodation, retention, or other housing-related matters, may not be processed until the requisite information is furnished.

3. All allottees who have not yet submitted the requisite details are, therefore, requested to furnish the desired information latest by 10.07.2026. The information can be provided in the format prescribed (Annexure I) of the circular dated 29.04.2026 and e-mailed on e-mail id iarihousingsection@gmail.com or can be submitted in physical form in the Housing Section or can be submitted as e-receipt on e-office to the AAO, Housing Section.

4. This may be treated as **MOST URGENT**.

Encl. : As stated.

03/07/2026

Assistant Admn. Officer (Housing)

To :

- All Allottees of ICAR-IARI Residential accommodations including at its Regional Stations.
- All Heads of IARI-Regional Stations with the request to bring the contents to the notice of all the allottees of ICAR-IARI accommodation concerned.

Copy for information to:

1. PS to Director, ICAR-IARI, New Delhi
2. PS/PPS to all JDs/HODs
3. I/c AKMU with the request to upload this circular on the IARI intranet for information of all.
4. Secretary, IJSC.
5. All President/Secretary of RWAs.
6. Housing Section / Security Section.
7. Guard File.

Note: In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.